न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 66 / 2023 राजस्व वाद

अनवान

1—छाऊ पुत्री मगना जाट पत्नि मिश्रीलाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ———वादीया

बनाम

1—सांवरा मुतबन्ना मगना जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2— अलोली पत्नि मगना जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3— उगमलाल पिता उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4— ऐजन पत्नि उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5— कमलेश पिता जमनालाल जाट नाबा0 जरिये संरक्षक माता लेहरी देवी पत्नि जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6— गुमानी पुत्री उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7— डाली पुत्री जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8— पुष्पा पुत्री जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9— फूमा पत्नि घीसू जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10—मांगीलाल पिता उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11—लहरी पत्नि जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12—शंकरलाल पिता गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13—सीता पत्नि भंवरलाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14—प्रेम पुत्री गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15—रतनलाल पिता गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16—लादू दत्तक पुत्र रूघनाथ जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
17—बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
18— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
19—उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री अरूण देराश्री (अधिवक्ता वादीया)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 02.06.2025

वादीया के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—
1—यह कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के परिवार का सजरा इस प्रकार है कि मगना पिता गोपाल जाट के छाउ पुत्री वादोया, प्रतिवादी संख्या 01 गोदपुत्र सांवरा, व प्रतिवादी संख्या 02 अलोली पत्नि है। वादीया मगना जाट की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस व उत्तराधिकारी है।
2—यह कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का गेघरास व भू अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा तहसील बनेड़ा के खाता संख्या 16 में आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.7714 हैक्टर, आ0नं0 1768 रकबा 0.2909 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.0623 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर दर्ज है। खाता संख्या 15 में दर्ज आराजी नम्बर 441 रकबा 0.2276 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा अन्य के नाम दर्ज है। खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी नम्बर 465

रकबा 0.0379 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा अन्य के नाम दर्ज है। वादवर्णित आराजीयात वादीया के पिता मगना पिता गोपाल जाट की होकर पुश्तैनी है जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 में दर्ज होकर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 508 से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को प्राप्त हुई। वादीया मगनाजी की जायन्दा पुत्री होकर वादवर्णित आराजीयात पैतृक होने से वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है। खाता संख्या 16 में दर्ज आराजीयात में वादीया का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा, खाता संख्या 15 में दर्ज आराजीयात में वादीया का 1/18 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/18 हक हिस्सा व खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी नम्बर 465 में वादीया का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/15 हिस्सा व शेष हक हिस्सा दीगर प्रतिवादी सह खातेदारान का है। इसी हक हिस्से अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3—यह कि वादीया वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हिस्से पर काविज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। 15 फरवरी, 2023 को प्रतिवादी संख्या 01 मौके पर आया व वादीया को जबरन बेदखल करने की कोशश की इस पर वादीया ने प्रतिवादी को कहा कि उक्त आराजीयात वादीया के पिता मगना की होकर वादीया का जन्म से हक अधिकार निहित है व वादीया काबिज है। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। इस कारण से तुम्हे बेदखल करके रहेगें व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय , हस्तान्तरण करने की धमकी दी। वादीया मगनाजी की पुत्री होते हुए राजस्व कर्मचारियों द्वारा मगनाजी की विरासत में वादीया का नाम दर्ज नहीं कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर ही दर्ज कर दी क्योंकि उस समय वादीया नाबालिग थी। वादीया का हक हिस्सा व नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तथा मौतबीरान के जरिये समझाईश की गयी लेकिन दिनांक 20 अप्रेल, 2023 को साफतौर पर इंकार कर दिया व वादीया को जबरन बेदखल करने व आराजीयात को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करने की धमकी दी जिसका प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई अधिकार नहीं है। जिस कारण वादीया राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करा, उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

4—अतः वादीया की प्रार्थना है कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का मेघरास भू अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा के खाता संख्या 16 में दर्ज आ0नं0 1767 रकबा 0.7714 हैक्टर, आ0नं0 1768 रकबा 0.2909 हैक्टर में वादीया का 1/3, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 15 में दर्ज आ0नं0 441 रकबा 0.2276 हैक्टर में वादीया का 1/18, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/18 व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/18 हिस्सा तथा खाता संख्या 41 में दर्ज आ0नं0 465 रकबा 0.0379 हैक्टर में वादीया का 1/15 , प्रतिवादी संख्या 01 का 1/15 व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/15 हिस्सा अनुसार वादीया राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ अपना नाम दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की डिक्री फरमाई जावे तथा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें तथा वादीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करावें।

5—यह कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 के द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 01.03.2024 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 3 से 16 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर दिनांक 29.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए उसे अपनी जायन्दा पुत्री माना है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 सांवरा का नाम गलत दर्ज होना अपने जवाबदावे में

अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 01 को कभी भी गोद स्वयं प्रतिवादीया एवं इनके पति मगनाजी ने गोद नहीं लिया परन्तु मगनाजी के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण में विपक्षी संख्या 01 सांवरा ने अपना नाम बतौर गोदपुत्र अंकित करा रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करा लिया जिसे हटाया जाने का निवेदन किया। इसके लिए प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है। वादीया के वाद को स्वीकार किए जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर एक तरफा शहादत वादी ली गई। वादी की शहादत में वादीया छाउ द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1, साक्ष्य वादी में गवाह भंवरलाल पिता जमना जाट नि0 मेघरास का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 2, साक्ष्य वादी में गवाह जगदीश पिता घीसा जाट नि0 मेघरास का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 3 प्रस्तुत कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों में ग्राम मेघरास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के नवीन खाता संख्या 16 पेश की जो प्रदर्श 1, खाता संख्या 15 की जमाबन्दी प्रदर्श–2, खाता संख्या 41 की जमाबन्दी प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 508 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श–4, नामान्तरकरण संख्या 509 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श–5, ग्राम मेघरास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 के खाता संख्या 112, 113, 114, 115, 116 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श–6 है। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा अपने जवाब की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तत्पश्चात वकील वादीया की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार फरमा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

6–हमने वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र, प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं दस्तावेजों के अध्योपान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीया के द्वारा वाद प्रस्तुत कर स्वयं को स्व0 मगना पिता गोपाल जाट निवासी मेघरास की जायन्दा पुत्री होना बताया जिसकी पुष्टि स्वयं प्रतिवादीया संख्या 02 जो कि स्व0 मगनाजी की पत्नि है तथा गवाह जगदीश पिता घीसा जाट निवासी मेघरास पी0डब्ल्यू0 3 ने जिरह में यह स्वीकार किया कि मगना पिता गोपाल जाट को मैं जानता हूं। सांवरा पिता लादू जाट को मगनाजी ने कभी गोद नहीं लिया । मगनाजी की जमीन पर छाउ व उसकी माता अलोल पत्नि मगना जाट का कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों का स्वयं या अपने विधिक प्लीडर के माध्यम से लिखित या मौखिक खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। वादीया छाउ पुत्री मगना जाट पत्नि मिश्रीलाल जाट निवासी मेघरास स्व0 मगना पिता गोपाल जाट नि0 मेधरास की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची 8 में दर्ज श्रेणी अनुसार पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होना पूर्णतया सिद्ध होने से वादीया छाउ पुत्री मगना जाट पत्नि मिश्रीलाल जाट स्व0 मगना पिता गोपाल जाट निवासी मेघरास की वाद वर्णित आराजीयात ग्राम मेघराव पटवार हल्का मेघरास भू अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 प्रदर्श–6 के नवीन खाता संख्या 112 में दर्ज आराजी नम्बर 1767, 1768 कुल कीता 2 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि मगना पिता गोपाल जाट सा0देह खातेदार दर्ज है जिसमें खातेदार मगना के फौत हो जाने से विरासत के नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 14.01.1986 से मगना के बजाय अलोली बेवा मगना व नाबा0सांवरा मु0 मगना जाट का नाम दर्ज है जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। वादीया पुत्री होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ आ0नं0 1767 व 1768 में 1/3 हिस्सा, खाता संख्या 115 में दर्ज आराजी नम्बर 441 रकबा 0.18 बिस्वा किस्म गेमु0 आबादी मगना पिता गोपाल, लादू मुत0 रूघनाथ, उरजण पिता छोटू, गणेश पिता महादेव जाट सा0देह के नाम तथा खाता संख्या 114 में दर्ज आराजी नम्बर 1110 रकबा 5 बिस्वा किस्म गेमु0 आ0चाह मगना पिता गोपाल 1/4, लादू मुतबन्ना रूघनाथ 1/4, रामलाल पिता कजोड़ 1/4, जगदीश पिता देवकरण 1/4 जाट सा0देह खातेदार दर्ज होना सिद्ध होता है। इस प्रकार वादवर्णित आराजीयात वादीया के स्व0 पिता मगना पिता गोपाल जाट की खातेदारी की होने तथा वादीया स्व0 मगनाजी की पुत्री सिद्ध होने से वादवर्णित आराजीयात में खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

दवर्णित आराजीयात में आराजी नम्बर 441 रकबा 0.2276 हैक्टर किस्म गेमु0 आबादी होने से उक्त आराजीयात में वादीया इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है शेष आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.7714 हैक्टर किस्म बारानी II व आ0नं0 1768 रकबा 0.2909 हैक्टर किस्म बीड़ बंजड़ में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से में से वादीया का 1/3 हक हिस्सा तथा आराजी नम्बर 465 रकबा 0.0379 हैक्टर किस्म गेमु0 चाह में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/10 हिस्से में से वादीया 1/15 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादीया का वाद स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव–

:– आदेश –::

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीया के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1व 2 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का मेघरास भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के नवीन खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.7714 हैक्टर किस्म बारानी II व आराजी नम्बर 1768 रकबा 0.2909 हैक्टर किस्म बीड़, बंजड़ में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ वादीया को 1/3 हिस्से का व खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी नम्बर 465 रकबा 0.0379 हैक्टर किस्म गेमु0चाह में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/10 हिस्से में वादीया को 1/15 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी नम्बर 441 के लिए वादीया का वाद खारीज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध व वादीया के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादीया को कब्जे से बेदखल नहीं करे। उक्तानुसार डिकी पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में अंतिम डिकी ::

आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 66 / 2023 राजस्व वाद

1–छाऊ पुत्री मगना जाट पत्नि मिश्रीलाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ———वादीया

बनाम

1–सांवरा मुतबन्ना मगना जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2– अलोली पत्नि मगना जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3– उगमलाल पिता उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4– ऐजन पत्नि उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5– कमलेश पिता जमनालाल जाट नाबा0 जरिये संरक्षक माता लेहरी देवी पत्नि जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6– गुमानी पुत्री उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7– डाली पुत्री जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8– पुष्पा पुत्री जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9– फूमा पत्नि घीसू जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10–मांगीलाल पिता उरजन जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11–लहरी पत्नि जमनालाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12–शंकरलाल पिता गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13–सीता पत्नि भंवरलाल जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14–प्रेम पुत्री गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15–रतनलाल पिता गणेश जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16–लादू दत्तक पुत्र रूघनाथ जाट निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
17–बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
18– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
19–उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री अरूण देराश्री (अधिवक्ता वादीया)

निर्णय

दिनांक 02.06.2025

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीया के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1व 2 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का मेघरास भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल उपरेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के नवीन खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.7714 हैक्टर किस्म बारानी II व आराजी नम्बर 1768 रकबा 0.2909 हैक्टर किस्म बीड़, बंजड़ में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ वादीया को 1/3 हिस्से का व खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी नम्बर 465 रकवा 0.0379 हैक्टर किस्म गेमु0चाह में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक के 1/10 हिस्से में वादीया को 1/15 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आराजी नम्बर 441 के लिए वादीया का वाद खारीज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध व वादीया के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादीया को कब्जे से बेदखल नहीं करे।

यह डिकी आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा